



संख्या-6/एफ1-305/16 अ0स0-

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

गोपाल मोहन,
अध्यापक, बिहार

सेवा में,

जिला धनधिकारी,
समस्तीपुर/खगड़िया/पूर्निर्वा

पटना, दिनांक

90317

विषय:-

मुक्त श्रम-2230-अम तथा रोजगार-01-अम राज्य योजना-103-सामान्य अम कल्याण-मौल योजना-25-उत्प्रेर-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास श्रेष्ठ का सुदृढीकरण (विषय अंक-P-3230011030103)के अन्तर्गत निधि का आवंटन

महाराज,

अनुसूचित विभाग के संदर्भ में विभागीय स्वीकृति संख्या-2239 दिनांक 22.5.16 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय हेतु आपको अध्यापक से गठित "बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु रु. 5000/- (पांच सौ मात्र रुपये) मात्र प्रति बाल श्रमिक को जमा में निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र. सं.	विषयशीर्ष	जिला का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि	अनुसूचित
1	2	3	4	5	6
1	28-01 आवृत्ताधिक एवं विशेष सेवाएँ	समस्तीपुर	07	35000	अम अधीक्षक, समस्तीपुर के पत्रांक 242 दिनांक- 09.03.17 के आलोक में
2	तरीफ	खगड़िया	05	25000	अम अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 142 दिनांक- 08.03.17 के आलोक में
3	तरीफ	पूर्निर्वा	21	105000	अम अधीक्षक, पूर्निर्वा के पत्रांक-100 दिनांक- 09.3.17 के आलोक में
	कुल योग		33	165000	

कुल आवंटित राशि ₹ 1,65,000/- (एक लाख पैंसठ हजार) मात्र।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि0 दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि. दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त अनुसूचित के स्थायी पत्रांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.08 के आलोक में है।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाए। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगी।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विषयों को जीव कर निम्नानुसार ही की जाए।
- इसका व्यय प्रतिवेदन/वार्षिकीया प्रमाण-पत्र तथा रीपोर्ट इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाए।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है।

निदेशाधीन,

(गोपाल मोहन)

अध्यापक, बिहार

संख्या-6/एफ1-305/16 अ0स0-

पटना, दिनांक

90317

प्रतिनिधि:- महालोकपाल, बिहार, पटना को भूकम्प एवं आधुनिक कार्यालय प्रेषित।